## [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Notification

New Delhi, the 23 April, 2018

S.O....... (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Allahabad hereby designates the following Court mentioned in column (1) of the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

#### Table

Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)
9 <sup>th</sup> Court of Additional District and	State of Uttar Pradesh.
Sessions Judge, Kanpur Nagar.	

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. Murty)

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

### भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 23अप्रैल, 2018

का.आ. \_\_\_\_\_\_ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमित से, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्निलिखित न्यायालय को, उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात्-

#### सारणी

न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)
अपर जिला और सत्र न्यायालय की 9वीं	उत्तर प्रदेश राज्य
कोर्ट, कानपुर नगर	

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-I (भाग-IV)]

के बी ओर मूर्ति 23 4 18 (के. वी. आर. मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार